

27-4-26

अभिभाषक प्राची उपस्थित। रेस्टोरेशन
प्राची पत्र पर बहस सुनी गई। रेस्टोरेशन
प्राची पत्र व शपथ पत्र तथा बहस में
किये गये कथनों के आधार पर न्यायाद्वारा
मे रेस्टोरेशन प्राची पत्र स्वीकार कर
अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन
प्राची पत्र नम्बर से कम होकर मूल
अपील के साथ सलग्न हो।


अतिरिक्त सहायीय अनुसूचक
डीकानेर